मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड

26, किसान भवन, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल

क्रमांक/बोर्ड/लेखा/ई-अनुज्ञा/४८० भोपाल, दिनांक १६ .01.2019

प्रति,

क्षेत्रीय प्रमुख (विक्रय),
आई.सी.आई.सी.आई. बैंक लिमिटेड,
प्लाट नं. जेड-14, हीरा काम्प्लेक्स,
एम.पी.नगर, जोन-1, भोपाल

विषयः- **ई अनुज्ञा पोर्टल के अंतर्गत मण्डी फीस जमा कराने हेतु आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने विषयक।**

संदर्भ :- **म.प्र.राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल का पत्र क्र./2177 दिनांक 04.01.19**

--00--

उपरोक्त विषयान्तर्गत मण्डी समितियों में मण्डी फीस जमा कराने हेतु आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के संबंध में म.प्र.राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल द्वारा संदर्भित पत्र से आई.सी.आई.सी.आई.बैंक के बैंक पैमेन्ट गेटवे के माध्यम से मण्डी समितियों के मण्डी फीस खाते में मण्डी फीस अंतरण के लिए आई.सी.आई.सी.आई.बैंक में अनन्य खाता खोलकर अंतरण किए जाने की सहमति निम्नानुसार शर्तो पर दी गई है :-

01. मण्डी बोर्ड द्वारा आई.सी.आई.सी.आई.बैंक में एक अनन्य खाता इस कार्य हेतु संधारित करना होगा। उक्त खाते में ऑटो प्रविष्टियां होगी। खाते में सीधे कोई मेन्युअल ट्रांजेक्शन नहीं किया जावेगा।
02. मण्डी बोर्ड द्वारा आई.सी.आई.सी.आई.बैंक को पैमेन्ट गेटवे सुविधा एवं खाते के संधारण पर कोई शुल्क देय नहीं होगा, साथ ही न्यूनतम राशि रखे जाने की भी कोई शर्त नहीं होगी, किन्तु व्यापारियों द्वारा जमा हेतु डेबिट कार्ड/यू.पी.आई. आदि साधनों के प्रयोग पर सामान्य नियमित शुल्क उनके द्वारा देय होगा।
03. व्यापारियों द्वारा जमा की गई राशि (ट्रांजेक्शन +3 दिवस) आधार पर मण्डी समितियों के खातों में अंतरित होगी।
04. मण्डियों के सभी खाते जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों की शाखाओं में रखे जाने होंगे।

म.प्र.राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल के द्वारा आई.सी.आई.सी.आई.बैंक के पैमेन्ट गेटवे की सुविधा जिला सहकारी बैंकों के माध्यम से लागू कराने की सहमति अनुसार उपरोक्त शर्तो पर आई.सी.आई.सी.आई.बैंक में एक अनन्य खाता (मण्डी फीस अंतरण) खोलने की स्वीकृति दी जाती है।

बैंक द्वारा पैमेंट गेटवे साफ्टवेयर तैयार कर अधोलिखित सुविधाएं उपलब्ध करानी होगी।

01. मण्डी समितियों में अनुज्ञप्त व्यापारियों द्वारा ई-माध्यम यथा एन.ई.एफ.टी./आर.टी.जी. एस. इलेक्ट्रानिक ट्रान्सफर के माध्यम से मण्डी फीस प्राप्त कर मण्डी समिति के ई पोर्टल में मण्डी फीस जमा का प्रदर्शन।
02. निर्धारित समय-सीमा में प्राप्त मण्डी फीस को संबंधित मण्डी समितियों के खाते में अंतरण करना।
03. त्रिस्तर (बोर्ड स्तर, आंचलिक कार्यालय स्तर एवं मण्डी समिति, स्तर) पर व्यापारीवार जमा की गई राशि का एम.आई.एस. उपलब्ध कराना।

कृपया उपरोक्त संबंध में अनन्य खाता खोलने संबंधी वांछित अभिलेख संलग्न है कृपया यथाशीघ्र उपरोक्त कार्यवाही कर अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

(फैज़ अहमद किदवई)
आयुक्त सह प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/बोर्ड/लेखा/ई-अनुज्ञा/४८१ भोपाल, दिनांक 16 .01.2019

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

01. प्रबंध संचालक, म.प्र.राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, टी.टी.नगर, भोपाल
02. अपर संचालक (नियमन/एम.आई.एस.)/(वित्त),म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल
03. एस.आई.ओ., एन.आई.सी., विन्ध्याचल भवन, भोपाल
04. संयुक्त/उप संचालक, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय,.....
05. सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, ...जिला.....................

आयुक्त सह प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल